प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD-500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2014-15/OG-GO/

दिनांक / Date : 02-2015

To
The Director of Treasuries and Accounts
Telangana
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 107% from 1.7.14 to Uttarakhand pensioners and 212% to pensioners drawing pension in pre-revised scales.
Ref:1. No 245/xxvii/(7) 02/2013 dt 20.10.2014 from the Government of Uttarakhand
2. PA/Pen/DR/UK/2014-15/3584 dt 30.12.2014 from the Principal Accountant General, (A&E) Uttarakhand.

***

I am to enclose herewith a Copy of Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E), Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

1612

Copy to
The Joint Director
Pension Payment Office
MJ Road, Nampally
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

ES13689415

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248171)
फोन नं0: 0135–2644967, फैक्स नं0: 0135–2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत"

362070
12/2/15

पत्रांकः पी.ए./पेंशन/राहत/उत्तराखण्ड/2014–15/ 3584 दिनांकः 30/12/14

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

UK-DA 107
DA 212

विषयः उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत 01.01.2007 से बढ़े मंहगाई भत्ते के शासनादेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 245/xxvii(7)02/2013 दिनांक 20.10.2014 (दिनांक 01.01.2007 से 107% एवं 212%) को आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि आपके राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहें उत्तराखण्ड राज्य के सभी पेंशनरों को इसका लाभ मिल सकें।

223
13/2

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार (2)

भवदीय,

लेखाधिकारी/पेंशन

OGP

महालेखाकार (ले. एवं ह) का कार्यालय
Office of the Accountant General (A&E)
INWARD
16 JAN 2015
No.................................
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना,
Andhra Pradesh & Telangana,
हैदराबाद/Hyderabad-500 004.

16200

23

संख्या– 245/XXVII (7)02/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा
अपर मुख्य सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादून: दिनांक 10 अक्टूबर, 2014

विषय: राज्य के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं एवं शहरी निकायों के कर्मचारियों को जिनका वेतन 01–01–2006 से पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित है, को 01–07–2014 से महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुनरीक्षित/अपुनरक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या–104/XXVII(7)02/2013, दिनांक 25 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–165/XXVII(7)02/2013, दिनांक 09 जुलाई, 2014 से महंगाई भत्ता क्रमशः पुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कर्मचारियों का 100 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कर्मचारियों का मूल वेतन के 200 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2/2014–E.II(B) दिनांक 18 सितम्बर, 2014 तथा संख्या–1/3/2008–संस्था–II(B) दिनांक 25 सितम्बर, 2014 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 104/XXVII(7)02/2013, दिनांक 25 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–165/XXVII(7)02/2013, दिनांक 09 जुलाई, 2014 के क्रम में क्रमशः पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य के राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकाय, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं एवं शहरी निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 07 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दिनांक 01–07–2014 से महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 107 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मूल वेतन के 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42 (एम)/97, 23, नवम्बर, 1988 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 07 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को 01 जुलाई, 2014 से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को

26-12-14
AAO/Pen.

–2..

23

छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अक्टूबर, 2014 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर 2003 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अंशदान (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना संबंधित खाते में जमा तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(सकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 245/xxvii (7)02/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
5– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/ उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।
6– प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– प्रमुख सचिव/ सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
10– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
12– वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
14– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।